

जनवरी 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **संसद:**
 - संसद का बजट सत्र
 - राष्ट्रपति के अभिषेक में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख
- **वित्त:**
 - अंतरराष्ट्रीय एकसर्जों पर प्रतिभूतियाँ
 - भारतीय स्टांप अधिनियम, 2023
 - वदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु निर्देश
 - राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य समूह की रिपोर्ट
 - स्व-नियामक संगठनों के लिये मसौदा
 - हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नियामक ढाँचे हेतु मसौदा पर पत्र जारी
 - सेबी ने अनुपालन को सरल बनाने के सुझावों पर टिप्पणियाँ मांगी
 - कुछ योजनाओं हेतु नविश को समाप्त करने में लचीलापन प्रदान करने पर टिप्पणियाँ
- **शिक्षा:**
 - कोचिंग सेंट्रों के नियमन हेतु दिशा-निर्देश
 - साक्षरता केंद्रों का गठन
- **कोयला:**
 - कोयला/लग्निनाइट गैसीकरण परियोजना
- **खनन:**
 - अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु खनन नियम संशोधन अधिसूचना
- **ऊर्जा:**
 - कॉस्ट इफेक्टिव टैरिफ और ओपन एक्सेस शुल्क की सीमा तय करने हेतु नियमों में संशोधन
- **नवीन एवं अक्षय ऊर्जा:**
 - गैर-वदियुतीकृत घरों के लिये सौर ऊर्जा हेतु दिशा-निर्देश
- **पृथ्वी विज्ञान:**
 - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हेतु व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी
- **पर्यावरण:**
 - एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के प्रबंधन हेतु मसौदा नियम
- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग:**
 - वाहनों की स्क्रैपिंग के नियमों में मसौदा संशोधन

संसद

संसद का बजट सत्र

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2024 को शुरू हुआ और 9 फरवरी, 2024 को समाप्त हुआ। इस सत्र में आठ बैठकें हुईं।

- **राष्ट्रपति का संबोधन:**

- **राष्ट्रपति** ने 31 जनवरी, 2024 को **संसद** के दोनों सदनों को संबोधित किया तथा सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25:
 - **अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25** वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा तैयार की गई।
- **परिचय, विचार और पारिती करने के लिये विधियक:**
 - दो विधियकों के परिचय, विचार के साथ ही उन्हें पारिती करने के लिये सूचीबद्ध किया गया है:
 - **जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) संशोधन विधियक, 2024** का उद्देश्य जल प्रदूषण मानदंडों और दंडों का प्रवर्तन एवं अनुपालन को मजबूत करना है।
 - **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधियक, 2024**, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोक लगाने और दंडित करने एवं शिक्षा की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रपति के अभिषण में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख:

भारत की राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिषण में सरकार की प्रमुख नीतितगत उपलब्धियों और लक्ष्यों को रेखांकित किया। संबोधन की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- **आर्थिक विकास और स्थिरता:**
 - गंभीर वैश्विक संकट के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और इसने लगातार दो तमिहियों में 7.5% से अधिक की विकास दर बनाए रखी है।
 - वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों में मुद्रास्फीति 8% से अधिक थी, जबकि पिछले दशक में यह 5% रही।
- **औद्योगिक विकास और व्यापार में सुगमता:**
 - स्टार्टअप की संख्या जो 100 हुआ करती थी, अब बढ़कर चार लाख से भी अधिक हो गई है।
 - व्यापार को सुगम बनाने के लिये 40,000 से अधिक अनुपालनों को हटा दिया गया है या उन्हें सरल बना दिया गया है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन:**
 - 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय पाँच गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
 - राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 90,000 कमी. से बढ़कर 1.46 लाख कमी. हो गई है। फोर-लेन वाले राजमार्गों की लंबाई 2.5 गुना बढ़ गई है।
- **ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई:**
 - 10 वर्षों में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर 188 गीगावाट हो गई है।
 - भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- **शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच:**
 - सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये 14,000 से अधिक **पीएम-श्री स्कूलों** पर काम कर रही है। इनमें से लगभग 6,000 ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
- **अंतरिक्ष अन्वेषण और नवाचार:** भारत ने आदित्य मिशन लॉन्च करने के साथ ही पृथ्वी से 15 लाख कमी. दूर सैटेलाइट भेजा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहराने वाला पहला देश बन गया है।

वित्त

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रतभूतियाँ

वित्त मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक कंपनियों को वदेशी मुद्रा पर अपनी प्रतभूतियों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाया है। इससे उनकी वैश्विक उपस्थिति और पूंजी तक पहुँच बढ़ने की उम्मीद है। मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को वनियमित करने एवं वदेशी मुद्रा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नए नयिम जारी किये हैं।

- **वदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) संशोधन नयिम, 2024:** मंत्रालय ने वदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) संशोधन नयिम, 2024 को अधिसूचित किया है, जो वदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखित) नयिम, 2019 में संशोधन करता है। ये नयिम अनुमत अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिये शर्तों और मानदंडों को नरिदष्ट करते हैं।
- **प्रत्यक्ष लिस्टिंग के लिये शर्तें:** संशोधन भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देता है। इसमें शामिल हैं:
 - भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के नागरिक या संस्थाएँ केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ऐसी कंपनियों के शेयर रख सकती हैं।
 - सार्वजनिक भारतीय कंपनियाँ या मौजूदा शेयरधारक कुछ मानदंडों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
 - कंपनी, उसके नदिशक या नदिशकों को पूंजी बाजार तक पहुँचने से प्रतबिधित नहीं किया गया है।
 - कंपनी, प्रमोटर या नदिशक इच्छुक डिफॉल्टर नहीं हैं।
 - प्रवर्तक या नदिशक भगोड़े आर्थिक अपराधी नहीं हैं।

भारतीय स्टॉप वधियक, 2023

वित्त मंत्रालय ने [भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899](#) में परिवर्तन के लिये सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करते हुए भारतीय स्टॉप वधियक, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा वधियक में अधिनियम के कई प्रावधानों को बरकरार रखा गया है, जसिमें प्रमुख बदलावों के साथ शपथ-पत्र, वनिमिय वधियक और बॉण्ड जैसे उपकरणों पर स्टॉप शुल्क लगाना शामिल है।

मुख्य परिवर्तनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **उपकरणों के लिये शुल्क बाज़ार मूल्य पर आधारित:** लीज़ समझौते और बॉण्ड जैसे उपकरणों के नषिपादन पर शुल्क देय है। मसौदा वधियक में कहा गया है कि खनन लीज़ के नवीनीकरण या किसी संपत्तिके ब्याज के हस्तांतरण जैसे कुछ लेन-देन पर शुल्क उपकरण के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगा।
- **छूट:** अधिनियम उन उपकरणों को स्टॉप शुल्क से छूट देता है जिनका उपयोग जहाजों की बिक्री और उन्हें स्थानांतरित करने के लिये किया जाता है। मसौदा वधियक इसमें बदलाव करता है। वह विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से संबंधित डेवलपर या इकाइयों द्वारा उनके लिये या उनकी ओर से नषिपादित उपकरण/इंस्ट्रुमेंट्स को शुल्क से छूट देता है। डेवलपर का मतलब केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों या राज्य सरकार से है। किसी उद्यमी द्वारा SEZ में इकाई स्थापति की जा सकती है।
- अधिनियम प्रतभूतियों और म्यूचुअल फंड इकाइयों के लाभकारी स्वामित्व हस्तांतरण पर स्टॉप शुल्क से छूट देता है, लेकिन मसौदा वधियक इस छूट को हटा देता है, जबकि यह एक व्यक्तियों और डिपॉजिटरी के बीच पंजीकृत स्वामित्व हस्तांतरण एवं किसी अन्य सरकार की सरकारी संपत्तिके रणनीतिक बिक्री या वनिविश पर भी छूट देता है।
- **नजि संस्थाओं द्वारा शुल्क जमा करना:** वधियक के मसौदे के अनुसार, नजि संस्थाएँ जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन, राज्य सरकार को हस्तांतरित करने से पहले सुविधा शुल्क के रूप में स्टॉप शुल्क का एक प्रतशित जमा करेंगी और काट लेंगी।
- **उपकरणों का कम मूलयांकन:** अगर किसी उपकरण/इंस्ट्रुमेंट को पंजीकरण अधिकारी द्वारा कम मूल्य का माना जाता है, तो ज़िला कलेक्टर इसका उचित मूल्य निर्धारित करेगा। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य न्यित्तरक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

वदिशी मुद्रा जोखमि के प्रबंधन हेतु नरिदेश

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने वदिशी मुद्रा जोखमि के प्रबंधन के लिये संशोधित नरिदेश जारी किये हैं।

- **हेजगि उत्पादों की पेशकश के लिये प्लेटफॉर्म:** वदिशी मुद्रा कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पर और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, दोनों के माध्यम से पेश किये जा सकते हैं। काउंटर पर लेन-देन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी किये जाते हैं।
- **यूज़रस का वर्गीकरण:** काउंटर पर वदिशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध के यूज़रस को रिटेल और नॉन-रिटेल में वभिजति किये जाएंगे। एक वदिशी मुद्रा डेरेवेटिव अनुबंध का मूल्य दो मुद्राओं की वनिमिय दर में परिवर्तन से प्राप्त होता है, जनिमें से कम-से-कम एक भारतीय रुपया नहीं है। नॉन-रिटेल यूज़रस में बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्तिया 1,000 करोड़ रुपए के न्यूनतम कारोबार वाले नविसी शामिल हैं।
- **स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पेश किये जाने वाले उत्पाद:** मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्टोड एक्सपोजर की हेजगि के लिये भारतीय रुपए से जुड़े वदिशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध की पेशकश कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टोड एक्सपोजर का आशय चालू या पूंजी खाता लेन-देन से संबंधित मुद्रा जोखमि से है।

राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य समूह की रपिर्ट

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#) ने राज्य सरकार की गारंटी पर कार्य समूह की रपिर्ट जारी की। गारंटी एक आकस्मिकि देनदारी है जो ऋणदाता को उधारकर्त्ता के डफॉल्ट होने के जोखमि से बचाती है। **राज्य सरकारें अक्सर राज्य उद्यमों, शहरी स्थानीय नकियाँ, सहकारी संस्थानों और अन्य राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण की गारंटी देती हैं।**

प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **गारंटी की परभाषा:** कार्य समूह ने सुझाव दिया कि कविसितारित गारंटी की कूल राशिकी गणना करने के लिये यह अंतर नहीं किये जाना चाहिये कि गारंटी किस प्रकार की है। इनमें सशर्त/बनि शर्त गारंटी और वतितिय/प्रदर्शन गारंटी शामिल हैं। इसमें वे सभी इंस्ट्रुमेंट शामिल होने चाहिये जो उधारकर्त्ता की ओर से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जारीकर्त्ता पर बाध्यता बनाते हैं, चाहे आकस्मिकि हो या अन्यथा।
- **गारंटी की अधिकतम सीमा:** रपिर्ट में सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धशील गारंटी की अधिकतम सीमा राजस्व प्राप्तियों का 5% या GSDP का 0.5%, जो भी कम हो, होनी चाहिये।
- **गारंटी नीति के लिये दशा-नरिदेश:** राज्य सरकारें अपनी गारंटी नीति तैयार करते समय केंद्र सरकार द्वारा जारी दशा-नरिदेशों का पालन कर सकती हैं। इन दशा-नरिदेशों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - केवल ऋण के मूलधन और सामान्य ब्याज के लिये गारंटी देना।
 - बाहरी वाणज्यिक उधार के लिये गारंटी नहीं देना।
 - परयोजना ऋण के 80% से अधिक की गारंटी नहीं देना।
 - नजि कंपनियों और संस्थानों के ऋण की गारंटी नहीं देना।
- **जोखमि वर्गीकरण:** राज्यों को परयोजनाओं को उच्च जोखमि, मध्यम जोखमि और कम जोखमि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये तथा गारंटी बढ़ाने हेतु जोखमि भार नरिदिष्ट करना चाहिये। जोखमि वर्गीकरण में चूक के पछिले रकिर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

स्व-नियामक संगठनों के लिये एक मसौदा

मानकों और प्रथाओं को बढ़ाने, समय और लागत बचाने के लिये **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** फनिटेक क्षेत्र में **स्व-नियामक संगठनों (Self-Regulatory Organizations- SRO)** के लिये एक मसौदा रूपरेखा जारी करता है। प्रमुख प्रस्तावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **SRO की विशेषताएँ:** RBI की देख-रेख वाले **स्व-नियामक संगठनों (SRO)** को नषिपकष रूप से क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देने, अनुपालन योजनाएँ के निर्माण, व्यापक क्षेत्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, स्वतंत्र रूप से कार्य करने, विवादों में मध्यस्थता के साथ ही सदस्य भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- **सदस्यता का मानदंड:** SRO को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिये और उसके सदस्यता के लिये सभी आकार, चरण और गतिविधियों वाली संस्थाएँ शामिल होनी चाहिये। सदस्यता स्वैच्छिक होगी लेकिन RBI फनिटेक को किसी मान्यता प्राप्त SRO का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- **कार्य:** SRO के पास नियम और मानक बनाने के लिये वस्तुनिष्ठ एवं परामर्शात्मक प्रक्रियाएँ होनी चाहिये। उसे उद्योग मानक तथा आधारभूत प्रौद्योगिकी मानक भी निर्धारित करने चाहिये। SRO को क्षेत्र की नगिरानी करने तथा अपवादों का पता लगाने और उन्हें उजागर करने के लिये सर्विलांस उपायों का इस्तेमाल करना चाहिये। उन्हें अपने सदस्यों के लिये शिकायत नविरण और विवाद समाधान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिये।
- **कार्य:** SRO को उद्देश्यपूर्ण, परामर्शी नियम-निर्माण, उद्योग मानक निर्धारण, नगिरानी और शिकायत नविरण ढाँचे की स्थापना करनी चाहिये।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के नियामक ढाँचे हेतु मसौदा परपित्त जारी

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने **हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC)** के लिये नियमों को अद्यतन करने हेतु एक मसौदा परपित्त जारी किया, **येगैर-बैंकगि वतितीय कंपनियों (NBFC)** हैं जो मुख्य रूप से आवास ऋण प्रदान करती हैं। इनकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **तरल संपत्तारिखना:** वर्तमान में जमा स्वीकार करने वाली HFC को सार्वजनिक जमा के मुकाबले 13% तरल संपत्तारिखने की आवश्यकता होती है। **भारतीय रज़िर्व बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक इसे 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।**
- **HFC की क्रेडिट रेटगि:** सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिये HFC को वर्ष में कम-से-कम एक बार इनवेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटगि प्राप्त करनी होगी। अगर उनकी क्रेडिट रेटगि न्यूनतम इनवेस्टमेंट ग्रेड से नीचे आती है, तो HFC इनवेस्टमेंट ग्रेड रेटगि प्राप्त होने तक मौजूदा जमा को रीन्यू नहीं करेगी या नई जमा स्वीकार नहीं करेगी।
- **एकाउंट्स को अंतिम रूप देना:** HFC को वतितीय वर्ष के लिये अपना वतितीय वविरण **31 मार्च को तैयार करना होगा।** RBI ने प्रस्ताव दिया है कि HFC को संबंधित तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी बैलेंस शीट को अंतिम रूप देना होगा। इस अवधि को बढ़ाने हेतु कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क करने से पहले राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

सेबी ने अनुपालन को सरल बनाने के सुझावों पर टपिपणियाँ मांगी

भारतीय प्रतभित्त और वनिमिय बोर्ड (SEBI) व्यापार में सुगमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेबी नियमों के अनुपालन को सरल बनाने के लिये विशेषज्ञ समूह की अंतरिम सफिराशियों पर प्रतकिरिया प्राप्त करना चाहता है। प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **बाज़ार पूंजीकरण की गणना:** अगर लसिटेड संस्थाओं का बाज़ार पूंजीकरण एक नश्चिति सीमा से अधिक है तो सेबी को अतरिकित शर्तों का पालन करना होता है। उदाहरणतः बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिये नमिनलखिति का होना आवश्यक है:
 - कम-से-कम एक महिला स्वतंत्र नदिशक।
 - एक जोखिम प्रबंधन समिति।
 - एक लाभांश वतिरण नीति।
- वर्तमान में सेबी अनुपालन के लिये हर वर्ष 31 मार्च को बाज़ार पूंजीकरण का उपयोग करता है। समिति ने सुझाव दिया है कि सेबी छह महीने (जुलाई-दसिंबर) के औसत बाज़ार पूंजीकरण का उपयोग करे। जनि कंपनियों को पहली बार अनुपालन करने की आवश्यकता होगी, उन्हें संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिये तीन महीने का समय भी मलिया।
- **नदिशकों के लिये समति की सदस्यता:** नदिशक केवल सूचीबद्ध संस्थाओं में 10 समति सदस्यता और 5 अध्यक्ष पदों तक सीमति हैं।
- **प्रमोटर्स का न्यूनतम योगदान:** प्रॉस्पेक्टस दाखलि करने से पहले एक वर्ष के भीतर अर्जति परविरतनीय प्रतभित्तियों के शेयरों को छोड़कर, प्रमोटर्स को लसिटेगि के बाद कम-से-कम 20% शेयर रखने होंगे।
 - हालाँकि ऐसी प्रतभित्तियों को प्रॉस्पेक्टस दाखलि करने से पहले कम-से-कम एक वर्ष के लिये रखा जाना चाहिये।

कुछ योजनाओं हेतु नविश को समाप्त करने में लचीलापन प्रदान करने पर टपिपणियाँ

भारतीय प्रतभित्त और वनिमिय बोर्ड (SEBI) ने **वैकल्पिक नविश कोष (AIF)** और **वेंचर कैपिटल फंड्स (VCF)** को लचीलापन प्रदान करने के लिये परामर्श-पत्र जारी किया है। AIF एक परभाषित नविश नीति के साथ नजि तौर पर एकत्रित नविश माध्यम है। वचिर के लिये मुद्दों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एक परसिमापन/लकिवडिशन योजना की आवश्यकता:** AIF की समयावधि समाप्त होने के बाद एक वर्ष की परसिमापन अवधि होती है। वे इस अवधि के भीतर एक परसिमापन योजना शुरू कर सकते हैं। परसिमापन अवधि के दौरान वधिटन प्रक्रिया शुरू करने के लिये AIF को योजना में मूल्य के हिसाब से 75% नविशकों की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- **VCF हेतु वधिटन प्रक्रिया:** VCF को शुरू में 1996 में सेबी द्वारा वनिमिमति किया गया था, फरि AIF वनिमिमों के तहत लाया गया, लेकिन मौजूदा

VCF पुराने नियमों के तहत बने रहेंगे, जब तक कवि अधिसूचना के छह महीने के भीतर AIF वनियमों में स्थानांतरित नहीं हो जाते।

- **वन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी योजना:** 15 जून, 2023 के बाद AIF को परसिमापन अवधि में पूर्ण परसिमापन, वधितन या वशिष्ट वितरण के लिये वन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जानी चाहिये।

शिक्षा

कोचिंग सेंटर्स के नयिमन हेतु दशा-नरिदेश

शिक्षा मंत्रालय के दशा-नरिदेश कोचिंग सेंटर्स को शक्तिषण, बुनयादी ढाँचे और पंजीकरण के मानकों के साथ नयितरति करते हैं, जनिहें वचिर के लयि ररज्यों को भेज ररत है। दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषतराओं में शररररि हैं:

- **पंजीकरण:** कोचिंग सेंटर्स को ररज्य दवरर नयिकुत अधकिररी के सरथ पंजीकरण कररनर हुरर, प्रतयेक शरखर को एक अलग इकरई के रूड में मरनर जररर, वयकतगित पंजीकरण सडररतसे पहले नवीनीकरण की ररवशयकतर हुरगी।
- **पंजीकरण की शरतें:** पंजीकरण की पारतरर के लयि एक कोचिंग सेंतर को कूछ शरतों को पूरर कररनर हुरर। इनमें नडिनलखिति शररररि हैं:
 - ऐसे टयूटरों को नयिकुत कररनर जो कड-से-कड सनरतक हैं और कसिी अडररध के लयि दोषी नहीं हैं।
 - उन वदियररथयिों कर नरररंकन नहीं कररनर जनिहोंने अभी तक डरधयडकि डररीकषर (ककषर 10) उततीरण नहीं की है।
 - अकूछे अंकों को लेकर डुरररडक वरदे न कररनर।
 - पंजीकरण के दुररन इन नयिडों के अनुडरलन कर वविरण देने वरलर एक वकन-डुतर दयि ररनर जरररि।
- **शुलक:** प्रतयेक डरडयकुरड कर उकति शुलक हुरनर जरररि और डरडयकुरड की ररवधकिे दुररन इसे डदररर नहीं जरनर जरररि। अडर वदियररथी डीक में डरडयकुरड कूड देतर है तो डुरगतन कयि गयि पूरर शुलक अरनुडरतकि आधर डर वरडस कररनर हुरर। डरवी वदियररथयिों/अडरडरवकों को डीस, सुवधिररओं और लेकूकर संडंधति सडरी जरनकररी नर:शुलक वी जरनी जरररि। इसे केंदुर के डरसिर में डी डुरडुखतर से डुरदरशरति कयि जरनर जरररि।
- **ककषररें:** कोचिंग सेंतरस को कषेतर के लुकडुरयि तयुहररों के दुररन कूडटयिों के सरथ-सरथ वदियररथयिों को सडरतहरकिे ररवकरश डी डुरदरन कररनर जरररि। ककषररें एक दनि में डरँक घंटे से अधकिे संचरलति नहीं की जरनी जरररि और संडंधति वदियररथयिों के स्कूल/कॉलेज के घंटों के दुररन संचरलति नहीं की जरनी जरररि।
- **इंफुररसुटरककरर:** कोचिंग ककषररों में हर डेक में हर वदियररथी के डीक नयूनतड एक वरुग डीटर की जरगह हुरनी जरररि। डरसिर डुरी तरह से वदियुतकिृत और हवरदरर हुरनर जरररि। डीने कर डरनी एवं डुरसुट एड कटि जैसी सुवधिररें उडलडध हुरनी जरररि।

सरकषरतर केंदुरों कर गठन

शिक्षा मंत्ररलय ने 'ररज्य शकिषर सरकषरतर और डुरशकिषण डरडिद में ररज्य सरकषरतर केंदुर को लेकर दशा-नरिदेश' जररी कयि हैं। ये दशा-नरिदेश प्रतयेक ररज्य/केंदुरशरसति डुरदेश में सरकषरतर केंदुर कर गठन करते हैं। ये ररज्य/केंदुरशरसति डुरदेश सुतर डर डुरीद शकिषर के शकिषण डरररिडों के डरडन हेतु रूडरेखर डुरसुतुत कररेंगे। ये ररषुटुरीय सरकषरतर केंदुर के सडककष के रूड में करड कररेंगे, जो डुरीद शकिषर हेतु एक ररषुटुरीय डरडयकुरड की रुडरेखर वकिसति करेगर। दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषतराओं में नडिनलखिति शररररि हैं:

संयुजन:

- प्रतयेक ररज्य/केंदुरशरसति डुरदेश में ररज्य शकिषर अनुसंधरन और डुरशकिषण डरडिद (State Council of Educational Research and Training- SCERT) दवरर ररज्य सरकषरतर केंदुर (SCL) की सुथरडनर की जररगी। SCL के डदेन सदसुयों में नडिनलखिति शररररि हैं:
 - SCERT कर नदिशक (अधयकष),
 - SCERT कर एक डुरीडेर/डैकैलेटी (डुरडररी)
 - एससीईररटी के दो डैकैलेटी।
- अनुय सदसुयों में उकूक शकिषण संसुथरनों के डुरतनरधिरर और सुथरनीय गैर-सरकररी संगठनों के डुरतनरधिरर शररररि हैं।

संघटन:

- **डरडयकुरड/कररकिलड:** ररज्य सरकषरतर केंदुर ररज्य/केंदुरशरसति डुरदेश सुतर डर डुरीद शकिषर के ररषुटुरीय डरडयकुरड की रुडरेखर को अडनरने के लयि डुरखुड रूड से जडरडेदरर हुरर। यह डुरेडवरक नयर डररत सरकषरतर कररुडकुरड (डुरीद शकिषर हेतु) के तहत शकिषण के डरँक कषेतरों के डरररिडों की रुडरेखर तैडर करेगर।
 - डूलडूत सरकषरतर और संखुडरतुडकतर
 - डहततुवडुरण जरवन कौशल
 - वुडरवसरडक कौशल
 - बुनयिदी शकिषर
 - सतत शकिषर।
- ररज्य सरकषरतर केंदुर डुरशकिषण डैनुअल डनररग, शकिषण सडरगुरी डजुररइन करेगर और डरडयकुरड के अनुडुर गतवधिरर डीडुडुल वकिसति करेगर।
- **डकटीय सहररगतर:** ररज्य/केंदुरशरसति डुरदेश डुरशरसन डुरखुड रूड से ररज्य सरकषरतर केंदुर (SCL) के सेटअड और संचरलन कर वतितडुषण और नगिररनी करेगर।

कोयला

कोयला/लग्नाइट गैसीकरण परियोजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला/लग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिये एक योजना को मंजूरी दी। कोयले को गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोयला गैसीकरण कहा जाता है, जिसका उपयोग बजिली पैदा करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है। यह योजना तीन श्रेणियों के तहत गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुदान प्रदान करेगी। योजना के तहत 8,500 करोड़ रुपए के कुल परवियय का अनुमान है।

कोयला/लग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत मानदंड और लाभ

पात्र संस्थाएँ/परियोजनाएँ	मानदंड/लाभ	परवियय (करोड़ रुपए)
PSU	<ul style="list-style-type: none">1,350 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो, का अनुदान।तीन परियोजनाओं को समर्थन दिया जाएगा।	4,050
नजी कंपनियों और PSU	<ul style="list-style-type: none">1,000 करोड़ रुपए का अनुदान या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो।प्रतिसिपर्द्धी बोली के माध्यम से कम-से-कम एक परियोजना का चयन किया जाएगा।	3,850
प्रदर्शन परियोजनाएँ या छोटे पैमाने के उत्पाद-आधारित गैसीकरण संयंत्र	<ul style="list-style-type: none">100 करोड़ रुपए या पूंजीगत व्यय का 15%, जो भी कम हो, का अनुदान।न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवश्यक है।सभी परियोजनाओं का चयन प्रतिसिपर्द्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा।	600

खनन

अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु खनन नियम संशोधन अधिसूचि

खान मंत्रालय ने खनजि (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन अधिसूचि किये हैं। नियम खान एवं खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत तैयार किये गए हैं। यह अधिनियम भारत में खनन क्षेत्र को वनियमित करता है। 2015 के नियम खदानों की नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) लाइसेंस की नीलामी:** अधिनियम की सातवीं अनुसूची में नरिदषिट खनजि के लिये अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने हेतु 1957 के अधिनियम को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था। इनमें लथियम, कोबाल्ट, चाँदी और सोना शामिल हैं। अन्वेषण लाइसेंस या तो टोही (रीकानसंस) या पूर्वकषण (प्रॉस्पेक्टिंग) या दोनों गतिविधियों की अनुमति देता है। टोही से तात्पर्य खनजि संसाधनों को निर्धारित करने के लिये प्रारंभिक सर्वेक्षण से है। पूर्वकषण में खनजि भंडार की खोज, उसका पता लगाना या साबित करना शामिल है।
 - अन्वेषण लाइसेंस को उस नीलामी प्रीमियम का एक हिस्सा मल्लिगा, जो खनन लीज़ के भावी लीज़ी ने उस क्षेत्र के लिये चुकाया हो, जिसका अन्वेषण उसने किया है। यह हिस्सा पूरे पचास वर्ष की अवधि के लिये या संसाधनों के समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, देय होगा।
 - संशोधित नियमों में प्रावधान है कि राज्य सरकार अन्वेषण लाइसेंस के लिये नीलामी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति नीलामी हेतु किसी क्षेत्र को अधिसूचि करने के लिये राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। उन्हें इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध भूविज्ञान डेटा देना होगा।
- नीलामी के मानदंड:** अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के लिये राज्य सरकार एक अधिकतम कीमत नरिदषिट करेगी। अधिकतम कीमत को खनन पट्टे के भावी लीज़ी द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में अधिकतम प्रतशित हिस्सेदारी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। बोलीदाता ऐसी कीमत उद्धृत करेंगे जो अधिकतम कीमत के बराबर या उससे कम होगी। न्यूनतम उद्धृत मूल्य वाली बोली को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
- प्रदर्शन सुरक्षा:** लाइसेंसधारी को प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करनी होगी। यह सुरक्षा नरिदषिट मामलों में वनियोजित की जा सकती है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - टोही या पूर्वकषण योजना का पालन न करना।
 - संपूर्ण अन्वेषण डेटा का खुलासा न करना।
 - अन्वेषण डेटा में वसिंगति।
 - नियमों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन।

ऊर्जा

कॉस्ट इफेक्टिविटी टैरिफ और ओपन एक्सेस शुल्क की सीमा तय करने हेतु नियमों में संशोधन

वर्द्धित मंत्रालय ने वर्द्धित अधिनियम, 2005 में संशोधन अधिसूचित किये हैं। नियम वर्द्धित अधिनियम, 2003 के तहत तैयार किये गए हैं। अधिनियम वर्द्धित क्षेत्र को वनियमिति करता है। संशोधनों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **लागत पर वचिर करके शुल्क नरिधारति कथि जाए:** संशोधति नयिमों के अनुसार, डसिकॉम का शुल्क लागत परतबिबति यानी कॉस्ट इफेक्टिवि होना चाहयि। इसका मतलब यह है कि शुल्क को इस तरह नरिधारति कथि जाना चाहयि कि वह दी गई अवधि में सभी लागतों की वसूली कर सके। संशोधति नयिमों में यह भी प्रावधान है कि केवल प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ही कम शुल्क को मंजूरी दी जा सकती है। यह अंतर अनुमानति वार्षिकि राजसव आवश्यकता के 3% से अधिकि नहीं हो सकता है, जसि तीन वर्षों के भीतर वसूल कथि जाना चाहयि। कसि भी मौजूदा अंतर को समान वार्षिकि कसितों में सात वर्षों के भीतर वसूल कथि जाना चाहयि।
- **ओपन एक्सेस के लयि अतरिकित अधभिर:** 2005 के नयिमों के तहत ओपन एक्सेस उपयोगकर्त्ताओं पर अतरिकित अधभिर लगाया जा सकता है। ओपन एक्सेस वाले उपभोक्ता सीधे उत्पादक से बजिली खरीदते हैं और आपूर्ति प्राप्त करने हेतु ट्रांसमशिन एवं वतिरण इकाइयों के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। संशोधति नयिम इस अधभिर को डसिकॉम द्वारा भुगतान की गई बजिली की प्रती यूनिटि नरिधारति लागत से कम रखते हैं। अधभिर को इस प्रकार कम कथि जाना चाहयि कि यह एक्सेस प्रदान करने के चार वर्षों के भीतर समाप्त हो जाए। अधभिर केवल तभी लगाया जाएगा, जब ओपन एक्सेस उपभोक्ता डसिकॉम के उपभोक्ता हों या पहले उपभोक्ता रहे हैं।
- **राज्य नेटवर्क के इस्तेमाल पर शुल्क की सीमा:** कुछ सामान्य नेटवर्क एक्सेस उपभोक्ता राज्य ट्रांसमशिन इकाई के नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। संशोधति नयिमों में कहा गया है कि अल्पकालिकि या अस्थायी ओपन एक्सेस के लयि लगाया जाने वाला शुल्क दीर्घकालिकि उपयोगकर्त्ताओं पर लगाए गए शुल्क के 110% से अधिकि नहीं होना चाहयि। अस्थायी उपयोगकर्त्ता वे हैं, जनिके पास 11 महीने से कम अवधि के लयि सामान्य नेटवर्क पहुँच है।
- **समरपति ट्रांसमशिन लाइनों हेतु लाइसेंस हटाया गया:** संशोधति नयिमों में कहा गया है कि कुछ संस्थाओं को समरपति ट्रांसमशिन लाइनें स्थापति करने और संचालति करने के लयि लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - उत्पादन कंपनियौं।
 - कैप्टिवि उत्पादन संयंत्र।
 - ऊर्जा भंडारण प्रणाली।
- समरपति ट्रांसमशिन लाइनें उन बजिली आपूर्ति लाइनों को कहा जाता है जो कैप्टिवि उत्पादन संयंत्रों या उत्पादन स्टेशनों को ट्रांसमशिन लाइनों, उप-स्टेशनों या उत्पादन स्टेशनों से जोड़ती हैं। अंतर-राज्यीय ट्रांसमशिन के मामले में न्यूनतम 25 मेगावाट (MW) और इंटर-स्टेट ट्रांसमशिन के मामले में 10 मेगावाट वाले उपभोक्ताओं को भी इस लाइसेंस से छूट दी जाएगी।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

गैर-वर्द्धितकृत घरों के लयि सौर ऊर्जा हेतु दशिा-नरिदेश

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदविसी न्याय महा अभयान (PM-JANMAN) के तहत सौर ऊर्जा योजना को लागू करने हेतु दशिा-नरिदेश जारी किये हैं। PM-JANMAN को नवंबर 2023 में शुरू कथि गया था तथा इसमें 18 राज्यों में वशिष रूप से कमजोर आदविसी समूहों के लयि ऑफ-ग्रिडि सौर ऊर्जा एवं सोलर स्टरीट लाइटिंग जैसी पहलें शामिल हैं। योजना के इन घटकों का वतितीय परविय तीन वर्षों में 515 करोड़ रुपए का है। संबंधति क्षेत्रों में वतिरण लाइसेंसधारी (डसिकॉम) कार्यानवयन एजेंसियौं होंगी।

दशिा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **व्यक्तगत घरों का वर्द्धितकरण:** केंद्र सरकार जनजातीय परिवारों के लयि उपकरणों के साथ ऑफ-ग्रिडि **सौर ऊर्जा** प्रणालियौं को वतिपोषति करेगी, जो डसिकॉम द्वारा टेंडर दयि जाने के तीन महीने के भीतर चालू हो जाएगी।
- **घरों के समूह के लयि मनी-ग्रिडि:** जनि क्षेत्रों में घरों के समूह हैं, वहाँ एक व्यक्तगत ससि्टम की बजाय एक मनी-ग्रिडि स्थापति कथि जा सकता है। इस घटक के तहत उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। घर मनी-ग्रिडि से बजिली लेने के पात्र होंगे और ग्रिडि को इस तरह डजिाइन कथि जाना चाहयि कि इसे भवषिय में मुख्य ग्रिडि से जोड़ा जा सके। इस घटक हेतु प्रती परिवार 50,000 रुपए तक का केंद्रीय हसिसा प्रदान कथि जाएगा।
- **बहुउददेशीय केंद्रों का सौरयीकरण:** बहुउददेशीय केंद्रों का ऑफ-ग्रिडि सोलर के माध्यम से वर्द्धितकरण कथि जाएगा। इस ग्रिडि से प्राप्त बजिली का उपयोग स्टरीट लाइटिंग के लयि कथि जा सकता है। इस घटक के तहत केंद्र सरकार प्रती केंद्र एक लाख रुपए प्रदान करेगी। टेंडर दयि जाने के नौ महीने के भीतर डसिकॉम को ग्रिडि का संचालन करना होगा।
- **नरीक्षण और नगिरानी:** कार्यानवयन एजेंसियौं पहले दो वर्षों तक नरीक्षण करेगी, जसिके बाद एक तीसरा पक्ष इसे अंजाम देगा।

पृथ्वी वजिज्ञान

पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय हेतु व्यापक योजना पृथ्वी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने एक व्यापक योजना पृथ्वी वजिज्ञान (पृथ्वी) [PRITHVi Vignan (PRITHVI)] को मंजूरी दी है। इसमें पृथ्वी वजिज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं। ये जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग, धरुवीय वजिज्ञान, भूकंप वजिज्ञान एवं शक्ति एवं आउटरीच से संबंधति हैं।

- यह योजना वर्ष 2021 से 2026 तक 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से लागू की जानी है।

■ पृथ्वी योजना का उद्देश्य है:

- वायुमंडल, महासागर और ठोस पृथ्वी के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाना तथा बरकरार रखना।
- मौसम और जलवायु के खतरों को समझने तथा पूर्वानुमान के लिये मॉडल ससिस्टम विकसित करना।
- ध्रुवीय और उच्च समुद्र क्षेत्रों का पता लगाना।
- समुद्री संसाधनों के सतत दोहन के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करना।

पर्यावरण

एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के प्रबंधन हेतु मसौदा नयिम

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (प्रबंधन) नयिम, 2024 का मसौदा जारी किया है। ये नयिम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयिम, 1986 के तहत तैयार किये गए हैं और उपभोक्ताओं तथा वाहन निर्माताओं की ज़रूरतों को नज़र में रखते हैं। एंड-ऑफ-लाइफ वाले वाहनों में वे वाहन शामिल हैं जो अब पंजीकृत नहीं हैं, परीक्षण स्टेशनों द्वारा अयोग्य घोषित कर दिये गए हैं या जनिका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। मसौदा नयिमों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **उत्पादकों के लिये रीसाइकलिंग का लक्ष्य:** वाहन निर्माताओं को एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों से स्टील की रीसाइकलिंग हेतु नरिदषिट लक्ष्यों को पूरा करना होगा। उत्पादक वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाण-पत्र खरीदकर इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। प्रमाण-पत्र पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा तैयार किया जाएगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में कलेक्शन की ज़रूरत भी निर्माता की होगी।
- **वाहन मालिकों की ज़रूरतें:** एक बार जब किसी वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ घोषित कर दिया जाता है, तो मालिकों को अपने वाहन को छह महीने से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अपना वाहन स्क्रैपिंग केंद्र में जमा कर दिया है।
- **थोक उपभोक्ताओं की ज़रूरतें:** थोक उपभोक्ताओं का मतलब उन लोगों से है जिनके पास 100 से अधिक वाहन हैं। ऐसे उपभोक्ता यह सुनिश्चित करने के लिये ज़रूरतें होंगी कि एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों या नामित संग्रह केंद्रों पर जमा किया जाए। उन्हें अपने फ्लीट के बारे में और जमा किये गए वाहनों के एंड-ऑफ-लाइफ के बारे में वार्षिक रिटर्न दाखल करना होगा।
- **परीक्षण स्टेशनों की ज़रूरतें:** अगर कोई वाहन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता तो स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को वाहन के एंड-ऑफ-लाइफ की घोषणा करनी चाहिए। स्टेशन टेस्ट किये गए वाहनों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा और डेटा को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रबंधित पोर्टल से लकिया जाएगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

वाहनों की स्क्रैपिंग के नयिमों में मसौदा संशोधन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के कार्य) नयिम, 2021 में मसौदा संशोधन जारी किये हैं। नयिम मोटर वाहन अधिनयिम, 1988 के तहत बनाए गए हैं।

मसौदा संशोधन की मुख्य विशेषताएँ हैं:

- **केंद्र स्थापित करने हेतु सहमति:** 2021 के नयिमों के तहत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के पंजीकरण प्राधिकारी से सहमति प्राप्त करनी होगी। इसके बजाय मसौदा संशोधन में प्रावधान है कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे किसी केंद्र को स्थापित करने के लिये मंजूरी देगा।
- **संचालन शुरू करने के लिये सहमति:** 2021 के नयिमों के तहत स्क्रैपिंग केंद्र को संचालन शुरू करने के छह महीने के भीतर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति प्राप्त करनी होगी। मसौदा संशोधन में प्रावधान है कि स्क्रैपिंग केंद्र को काम शुरू करने से कम-से-कम 60 दिन पहले सहमति प्राप्त करनी होगी या आवेदन करना होगा।
- **पंजीकरण का हस्तांतरण:** 2021 के नयिमों के तहत स्क्रैपिंग केंद्रों का पंजीकरण गैर-हस्तांतरणीय है। मसौदा संशोधन पंजीकरण ऐसे हस्तांतरण की अनुमति देता है।
- **वाहन जमा करने का प्रमाण-पत्र:** स्क्रैपिंग केंद्र वाहन मालिक को वाहन जमा करने का प्रमाण-पत्र जारी करता है। प्रमाण-पत्र वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण को मान्यता देता है। अगर लोग नया वाहन खरीदते हैं तो इनसेटिव और लाभ प्राप्त करने के लिये ये प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिये। प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य है। मसौदा संशोधन प्रमाण-पत्र की वैधता को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करते हैं। सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों या ज़ब्त किये गए वाहनों को जारी किये गए प्रमाण-पत्रों पर कोई इनसेटिव नहीं मलिया। ऐसे प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होंगे।

